क्षेत्राधिकारी श्रीमान् उपनिबन्धक– I, बरेली।

बैनामा आवासीय प्लाट अर्द्धनगरीय क्षेत्र आराजी दर भूमि ..../– प्रति वर्ग मीटर है। जिस पर कोईनिर्माण नहीं है। शत्रु नजूल, वक्फ, चर्च सम्पत्ति नहीं है, विक्रेता व क्रेता भारतीय हैं सीलिंग से पूर्णयता मुक्त है।

शासनादेश सं0 ....दिनांक ....के अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है।

विक्रय मूल्य................................../– रूपये मालियत सरकारी................................../– रूपये स्टॉम्प ..../– रूपये

हम कि मैसर्स जे.एच.एम. इन्फ्राकॉम प्रा०लि० चन्दपुर बिचपुरी, डायरेक्टर द्वारा...जिसकी रजिस्ट्री दिनांक ....ई0 को बही सं0 1 जिल्द सं0 ....केपृष्ठ सं0 ....से ....में नम्बर ....पर कार्यालय स.र. साहब प्रथम बरेली मे हूई है,जो आज तक कायम व बरकरार है मंसूख नही किया गया है तथा शख्स मजकूरैन आज तक हयात है प्रथमपक्ष (पैन नम्बर ....है व आधार नम्बर–...)

एंव

क्रेता द्वितीय पक्ष

....पुत्र ....(क्रमशः पैन नम्बर ....आधार नम्बर – ....)

जोकि आराजी गाटा/खेत सं0 494 एवं 495 बाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० बरेली जिसका तलपट

मानचित्र सं0 ....दिनांक ....ई0 बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत है। बरेली ने बैनामों के द्वारा खरीदकियाएवंउपरोक्त आराजी पर प्लाट कायम किये फर्म मजकूर उपरोक्त आराजी की पूर्ण स्वामी है और उस पर काबिज वदखील है और उसे प्लाट को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है एवं मैनें वहैसियत प्रतिनिधि फर्म मजकूर केअपनी खुशी से खूब सोचकर समझकर विला किसी जब्र व दबाव के वदूरूस्ती होश व हवास में एक किता प्लाटनं0 ....तादादी ....**बर्गमीटर**.स्थितJHMJOY पर. तह. व जिला बरेली। प्रथम पक्ष को उक्तआराजी विक्रय करना है और क्रेता उसको क्रय करने को तैयार है जो प्रथम पक्ष को स्वीकार है अतः प्रथम पक्षने खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से स्वस्थ व चैतन्य मन से वही आवासीय प्लाट नं0 ....तादादी..**बर्गमीटर**.स्थितJHMJOY , पर. तह. व जिला बरेली जिस पर प्रथम पक्ष उपरोक्तानुसार तन्हामालिक व काबिज चली आती है जो इस वक्त तक पूर्ण रूप से पाक

व साफ है सिवाए प्रथम पक्ष के अतिरिक्तअन्य कोई मालिक व काबिज नहीं है और प्रथम पक्ष ने किसी अन्य व्यक्ति से इसकी बिक्री का लिखित यामौखिक विक्रय या विक्रय अनुबन्ध नहीं किया है। अतः प्रथम पक्ष ने खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से स्वच्छव चैतन्य मन से निम्नलिखित आराजी को अपने स्वामित्व एवं समस्त अधिकार एवं हितों सहित अंकन...रुपये में ....क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय कर निम्नवत विक्रय मूल्य प्राप्त करअपने समस्त स्वामित्व एवं अधिकार क्रेता को प्रदान कर दिये अब प्रथम पक्ष व उसके किसी उत्तराधिकरी काकिसी प्रकार का कोई सम्बन्ध निम्नलिखित आराजी में नहीं रहा न भविष्य में रहेगा विक्रय कार्यवाही पूर्ण हुईपरन्तु यह निश्चित हुआ कि निम्नलिखित आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या उसके परिवार काकोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है और उसके हस्तक्षेप से विक्रीत आराजी या उसका कोई अंश बाधित होता है तोऐसी स्थिति में क्रेता को आराजी पर यदि तारीख बैनामा से पूर्व के कोई भी देनदारी निकलती है तो उसकोअदा व जमा करने कर जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा नहीं किया गयाहै और न ही उक्त सम्पत्ति का अन्य किसी के पक्ष मं` इकरारनामा मुहायदावय व वसीयतनामा व दानपत्र वमुख्त्यारनामा किया गया है भूमि का स्वामित्व कब्जा व चौहददी में कोई विवाद नहीं है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति कीसीमाओं में कोई वाणिज्यिक /व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान्य नहीं है। भविष्य में इस समपत्ति पर लागू समस्तकर (नगर निगम, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी बिजली बिल, इत्यादि) देने का पाबन्द क्रेता होगा। क्रेता स्वीकृतिमानचित्र संख्या ....दिनांक ....ई0 जो कि बरेली विकास प्राधिकरण सेस्वीकृत है के अनुसार निर्माण करने का पाबन्द रहेगा तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण जनरेटर आदिघर के बाहर नही रखेगा। भविष्य में फर्म द्वारा गठित सोसायटी द्वारा निर्धारित रख–रखाव की जो भी धनराशिहोगी उसे क्रेता समय पर देने का पाबन्द रहेगा। अतः यह विक्रय पर लिपिबद्ध कर दिया की प्रमाण रहे।

विक्रीत प्लाट नम्बर ....तादादी ....**बर्गमीटर**.स्थितJHMJOY, पर. तह. व जिला

बरेली

पूरब –...

पश्चिम –...

उत्तर –...

दक्षिण –...

हम पक्षकार घोषित करते है कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रथम भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित अद्धनगरीयक्षेत्र के देय गये सीमांकन में स्थित है। जिसका निकटतम डोहरा लालपुर मार्ग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मूल्यांकन सूची के पृष्ठ सं0 26 के क्रमांक 96 के कॉलम

06 / बी कोड 1032 मेंनिर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख मं` दिये गये विवरण की पूर्णजिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी। धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है।वक्त तहरीर इकरारनामा मुहायदावय के प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये मुवलिग रु0 .... / –दिनांक ....द्वारा चैक सं0 ....बैंक ....कुल रु0 .... / –प्राप्त किए।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष   हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

गवाह नं०–1

गवाह नं०–2

तहरीर व तारीख : ....स्थान–........................... तहसील ....जनपद बरेली
ड्राफ्टकर्ता–..तहसील ....जिला– बरेली